

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 151/2019

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|------|--|
| 1 कुम्भाराम 2 मोटाराम पिसरान फुसाराम जाति जाट निवासी खारीया तला भाडखा 3 पेम्पो पुत्री फुसाराम पत्नी अणदाराम जाति जाट निवासी कपुरडी तहसील व जिला बाडमेर। | | 1 फुसाराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी खारिया तला भाडखा तहसील व जिला बाडमेर 2 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधराम ग्रामीण बैंक शाखा भाडखा जिला बाडमेर। |

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

- उपस्थिति :- 1. श्री भोमाराम सियाग, वकील वादीगण।
2. श्री मेघाराम चौधरी, वकील प्रतिवादी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक 24.9.19

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 देवाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा खारिया तला पटवार क्षेत्र भाडखा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 821/538 रकबा 11.19 बीघा, खसरा संख्या 823/512 रकबा 25.11 बीघा व खसरा संख्या 825/515 रकबा 23.13 बीघा कुल रकबा 61.03 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के पिता देवाराम के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त भूमि विरासतन प्राप्त हुई, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा काशत है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 फुसाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो प्रयोग है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/4-1/4 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी बादराराम की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 फुसाराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण प्रत्येक का भी 1/4-1/4 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित कर 1/4-1/4 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादीगण द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाडमेर

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 फुसाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 01 को कोई आपति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा खारिया तला पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 821/538 रकबा 11.19 बीघा, खसरा संख्या 823/512 रकबा 25.11 बीघा व खसरा संख्या 825/515 रकबा 23.13 बीघा कुल रकबा 61.03 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 फुसाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 फुसाराम प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 फुसाराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फौसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



निर्णय आज दिनांक 24.9.19 को सरें इजलास सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.)

अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण
1 कुम्भाराम 2 मोटाराम पिसरान
फुसाराम जाति जाट निवासी खारिया
तला भाड़खा 3 पेम्पो पुत्री फुसाराम
पत्नी अणदाराम जाति जाट निवासी
कपुरडी तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 फुसाराम पुत्र देवाराम जाति जाट
निवासी खारिया तला भाड़खा तहसील व
जिला बाड़मेर 2 शाखा प्रबन्धक
राजस्थान मरुधराम ग्रामीण बैंक शाखा
भाड़खा जिला बाड़मेर।

दावा बाबत 88 रा.का.अ.


मुकदमा नम्बर :- 151/2019

निर्णय दिनांक :- 24.9.19

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा खारिया तला पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 821/538 रकबा 11.19 बीघा, खसरा संख्या 823/512 रकबा 25.11 बीघा व खसरा संख्या 825/515 रकबा 23.13 बीघा कुल रकबा 61.03 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 फुसाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 फुसाराम प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 फुसाराम का हिस्सा राजस्थान मरुधरा ग्रामण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। अतः तहसीलदार बाड़मेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह आज तारीख 24.9.19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
(S.D.O.) बाड़मेर
सहायक कलक्टर, बाड़मेर

वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| 1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | | प्लीडर की फीस | |
| 4 रुपये पर प्लीडर की फीस | | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | |
| 5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय | | आदेशिका की तामील | |
| 6 कमिश्नर की फीस | | कमिश्नर की फीस | |
| 7 आदेशिका की तामील | | | |
| जोड़ | | जोड़ | |